L. A. BILL No. XXXIX OF 2021.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३९ सन् २०२१।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९६१ का महा. २४।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अत:, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ के खंड (१९) के, उपखंड (क-१) अपमार्जित किया जायेगा। सन् १९६१ का २४।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २५क में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा २५ में, "इस अधिनियम के उपबंध" शब्दों के पश्चात्, "या तद्धीन बनाए गए नियमों" शब्द निविष्ट किए जायेंगे ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २६ में प्रतिस्थापन।

४. मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

"**२६.** सदस्य, अधिनियम, नियमों और उप-विधियों में यथा उपबंधित ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा :

परंतु, कोई भी सदस्य, अधिकारों का प्रयोग तब तक करेगा जब तक संस्था की सदस्यता के संबंध में या संस्था ऐसे हित में अर्जित करने का ऐसा भुगतान बनाया नहीं जाता है तब तक, जैसा कि समय-समय पर संस्था के उप-विधियों के अधीन विहित और विनिर्दिष्ट किया जाये :

परंतु आगे यह कि, सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करते समय शेअर पूंजी में सदस्य का न्यूनतम अंशदान बढ़ जाने के मामले में संस्था, सदस्य को देय माँग सूचना देगा और उसके साथ अनुपालन के लिये उचित कालावधि देगा।"

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २७ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा २७ की,—

(१) उप-धारा (१क), अपमार्जित की जायेंगी।

(२) उप-धारा (३) में, "सक्रिय" शब्द अपमार्जित किया जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३क में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा ७३क की, उप-धारा (९) में "वह एक सक्रिय सदस्य नहीं है और" शब्द रखे जायेंगे।

७. मूल अधिनियम की धारा ७३ककक, की, उप-धारा (१) में,—

(१) प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

"परंतु आगे यह कि, किसी शिखर संस्था के मामले में या किसी अन्य संस्था के मामले में, अपवादात्मक परिस्थितियों में, रजिस्ट्रार, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समिति के सदस्यों की संख्या पच्चीस तक बढा सकेंगे : " ;

(२) द्वितीय परंतुक में, "परंतु आगे यह कि," शब्दों के स्थान में, "परंतु यह और भी की" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३गक में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ७३गक की, उप-धारा (१) के,—

(१) खंड (दो-क), अपमार्जित किया जायेगा ;

(२) खंड (चार) में, "तद्धीन बनाये गये नियमों", शब्दों के पश्चात्, "या संस्था की उप-विधियाँ" शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७५ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा ७५ की, उप-धारा (१) में,—

(१) प्रथम परंतुक के पूर्व, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, रजिस्ट्रार, असाधारण परिस्थितियों में जैसे कि संक्रामक रोग, महामारी, बाढ, भारी बारिश, सूखा, या भूकंप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपर्युक्त निर्देशित अवधि तीन महीने से अनधिक अवधि तक बढ़ा सकेगा ;";

(२) प्रथम परंतुक में, "परंतु" शब्द के स्थान में "परंतु आगे यह कि" शब्द रखे जायेंगे ;

(३) द्वितीय परंतुक में, "परंतु आगे यह कि" शब्द के स्थान में "परंतु आगे यह और भी कि" शब्द रखे जायेंगे।

१०. मूल अधिनियम की धारा ७७क की,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७७क में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) का, तृतीय परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा ;

(२) उप-धारा (३) में,—

(एक) "छ महीने" शब्दों के स्थान में "बारह महीने" शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) परंतुक में, "छह महीने" शब्दों के स्थान में "बारह महीने" शब्द रखे जायेंगे।

११. मूल अधिनियम की धारा ७८ की उप-धारा (१) के,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७८ में संशोधन।

(१) खण्ड (एक) में, "छह महीने" शब्दों के स्थान में, "बारह महीने" शब्द रखे जायेंगे ;

(२) तृतीय परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा ।

१२. मूल अधिनियम की धारा ७८क की, उप-धारा (१) के खण्ड (क) के, उप-खण्ड (दो) में, "छह महीने" शब्दों के स्थान में "बारह महीने" शब्द रखे जायेंगे । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७८क में संशोधन।

१३. मूल अधिनियम की धारा ७९ के,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७९ में संशोधन।

(१) विद्यमान उप-धारा (१), उसकी उप-धारा (१-१क) के रूप में पुनःक्रमांकित की जायेगी ; और इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धाराए १ और (१-१क) के पूर्व निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(१) रजिस्ट्रार, किसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग को, इस अधिनियम के उपबंधों, तद्धीन बनाए नियमों, संस्था के उप-विधियों या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश का अनुपालन करने की कार्यवाही करने के निदेश दे सकेगा ; और संस्था का अधिकारी या संस्था के अधिकारी, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होंगे।"।

(२) उप-धारा (३) में के, "उप-धारा (१)" शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान में, "उप-धारा (१-१क) और (१)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जायेंगे।

१४. मूल अधिनियम की धारा ८२ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ८२ में प्रतिस्थापन ।

अर्थात् :—

" **८२.** (१) यदि, अंतिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन आयोजित लेखापरिक्षण का परिणाम संस्था के कार्य में कोई त्रुटि प्रकट करता है तो संस्था, लेखापरिक्षण रिपोर्ट के दिनांक से तीन महीने के भीतर लेखापरिक्षक या लेखापरिक्षण फर्म द्वारा बताई गई त्रुटि या अपूर्णता का रजिस्ट्रार को स्पष्टीकरण देगी, और त्रुटीयों का परिशोधन करने और अपूर्णता के उपायों के लिए कदम उठायेगी, तथा उसपर उनके द्वारा की गई कार्यवाही का लेखाओं में त्रुटियों का परिशोधन।

रिपार्ट, रजिस्ट्रार देगी तथा उसे अगली साधारण निकाय के बैठक के समक्ष रखेगी । रजिस्ट्रार, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर आदेश में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे त्रुटियों के उपाय करने के लिए, ऐसी कार्यवाही करने के लिए संस्था या उसके अधिकारियों को निदेश देनेवाला कोई आदेश भी बना सकेगा ।

(२) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, लेखापरिक्षण परिशोधन रिपोर्ट की संवीक्षा करेगा और तद्नुसार, उसकी प्राप्ति के दिनांक से छह महीने के भीतर ऐसे रिपार्ट के बारे में संस्था को जानकारी देगा ।

(३) संबंधित लेखापरिक्षक या लेखापरिक्षण फर्म की यह जिम्मेदारी होगी कि, संस्था द्वारा किए गए संपूर्ण परिशोधन तक, मदवार संस्था के परिशोधन रिपोर्ट पर टिप्पणी प्रस्तुत करना और उसका रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना ।

(४) यदि संस्था लेखापरिक्षण परिशोधन रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने और वार्षिक साधारण निकाय बैठक में प्रस्तुत करने में असफल होती है तो रजिस्ट्रार किसी आदेश द्वारा, घोषित कर सकेगा कि समिति के किसी अधिकारी या, यथास्थिति, सदस्य को, जिसका कर्तव्य लेखापरिक्षण परिशोधन रिपोर्ट रजिस्ट्रार और वार्षिक साधारण निकाय बैठक में प्रस्तुत करना था और जो युक्तियुक्त कारणों के सिवाय उपर्युक्त कार्य करने में असफल हुआ है वह ऐसे आदेश में जैसा वह विनिर्दिष्ट करे पाँच से अनधिक वर्ष की ऐसी अवधि के लिए निर्वाचित होने के लिए या कोई अधिकारी या सदस्य होने के लिए, अनर्ह हो जायेगा, और यदि अधिकारी संस्था का कर्मचारी है तो उसपर पाँच हजार रुपयों से अनधिक रकम की शास्ति अधिरोपित की जायेगा :

परंतु यह कि, इस उप-धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश बनाने के पूर्व रजिस्ट्रार, संबंधित व्यक्ति को, उसके विरुद्ध की जानेवाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देगा या दे जाने का कारण बनेगा ।"।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १०९ में संशोधन ।

१५. मूल अधिनियम की धारा १०९ की, उप-धारा (१) में,—

(१) " रजिस्ट्रार द्वारा विस्तारित " शब्दों के स्थान में, " रजिस्ट्रार या सरकार द्वारा विस्तारित " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) प्रथम परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखे जायेंगे अर्थात् :—

" परंतु यह कि, रजिस्ट्रार एक समय पर एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए तथा कुल मिलाकर चार वर्षों के किसी विस्तारण को मंजूरी नहीं देगा :

परंतु आगे यह कि, यदि दस वर्षों से परे अधिक विस्तार को मंजूरी देना आवश्यक है तो, रजिस्ट्रार सरकार को ऐसे विस्तारण के लिए प्रस्ताव भेज देगा । सरकार, एक समय पर एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तथा कुल मिलाकर पाँच वर्षो के लिए विस्तारण को मंजूरी दे सकेगा :

परंतु यह और भी कि, उपर्युक्त दिनांक से पंद्रह वर्ष के अवसित होने के ठीक पश्चात् यह माना जायेगा कि समापन कार्यवाहीयाँ समाप्त कर दी गई है और रजिस्ट्रार, समापन कार्यवाहियों को समाप्त करने का कोई आदेश पारित करेगा : " ;

(३) द्वितीय परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १४४-५क में संशोधन ।

१६. मूल अधिनियम की धारा १४४-५क में, **स्पष्टीकरण** के पूर्व एक परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु यह कि, वेतन उपार्जितकर्ता साखर सहकारी संस्था, उनके सदस्यों से, उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात्, नामीय सदस्यों के रूप में उन्हे अभ्यावेशन द्वारा स्वेच्छापूर्वक निक्षेप की स्वीकृति कर सकेगी ।

१७. मूल अधिनियम की धारा १४६ का, खण्ड (ठ-१), अपमार्जित किया जायेगा । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १४६ में संशोधन ।

१८. मूल अधिनियम की धारा १४७ का, खण्ड (ठ-१), अपमार्जित किया जायेगा । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १४७ में संशोधन ।

१९. मूल अधिनियम की धारा १५२क की उप-धारा (१) में, " तीन दिनों के भीतर " शब्दों के स्थान में, " तीन कामकाजी दिनों के भीतर " शब्द रखे जायेंगे । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १५२क में संशोधन ।

२०. मूल अधिनियम की धारा १५४ की उप-धारा (२क) में,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १५४ में संशोधन ।

(क) " या धारा १०५ के अधीन समापक द्वारा जारी प्रमाणपत्र " शब्द और अंक अपमार्जित किए जायेंगे ;

(ख) " वसूलनीय देयों की रकम " शब्दों के पश्चात्, निम्न भाग, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" यदि पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति है, तो पुनरीक्षण प्राधिकारी, इस प्रकार निक्षेपित रकम का आवेदनकर्ता को प्रतिदाय करने के संस्था को निदेश देनेवाला कोई आदेश पारित कर सकेगा "।

२१. मूल अधिनियम की धारा १५४ ख की,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १५४ ख में संशोधन ।

(१) उप-धारा (१) में, " ७८क, उप-धाराएँ (१), (१-१क) ", अंको, अक्षरों, शब्दों, कोष्ठकों तथा चिन्हों के स्थान में, " ७८क, उप-धाराएँ (१), (१-१क), (१क) " अंक, अक्षर, शब्द, कोष्ठक और चिन्ह रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (२) में, " (१९) (क), (क-१), (ख) " कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान में, " (१९), (क), (ख) " कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जायेंगे ।

२२. मूल अधिनियम की धारा १५७ का, द्वितीय परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १५७ में संशोधन ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

सहकारी संस्थाओं से संबंधित एक नया भाग ९-ख (संविधान संतानवा संशोधन) अधिनियम, २०११ द्वारा भारत के संविधान में निविष्ट किया गया है । महाराष्ट्र सरकार ने, उक्त भाग ९-ख के सांविधानिक उपबंधों के अनुकूल में उक्त अधिनियम उपबंध बनाने के लिए महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) (जिसे इसमें आगे " उक्त अधिनियम कहा गया है ") में, विभिन्न संशोधन किए है ।

२. गुजरात उच्च न्यायालय ने, प्रमुख निदेशक (सहकारिता) भारत संघराज्य बनाम राजेंद्र शाह (सी/ डब्ल्यूपीपीआयएल/१६६ सन् २०१२) के मामले में यह घोषित किया हैं कि, उक्त संविधानिक संशोधन अधिनियम संविधान का भाग ९-ख संविधान में अधिकारातीत निविष्ट किया है। उच्चतम न्यायालय के, (सन् २०१४ का सिविल अपील क्रमांक ९१०८-९१०९) गुजरात उच्च न्यायालय का वे बहु राज्य सहकारी संस्थाओं से संबंधित है, प्रवर्तन में है और जहाँ न्यायनिर्णय, भारत के संविधान के भाग ९ख को संपूर्णतः खारिज किया है को छोडकर, उन्नयित होगा। उच्चतम न्यायालय के उक्त न्याय निर्णय में यह घोषित किया है कि भारत के संविधान का भाग ९-ख तभी केवल प्रवर्तनीय होगा जब तक उसकी विषमवस्तु बहु उद्देशीय सहकारी संस्थाओं दोनों विभिन्न राज्यों के भीतर और भारत संघराज्य में है।

उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायनिर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार नें, संस्था के सदस्यों के हित के लिए तथा सहकार आंदोलन के निर्बंध कार्य के लिए उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधन करना इष्टकर समझा है।

३. उक्त अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ यथा निम्न है :–

(१) " सक्रिय सदस्य " परिभाषा और उससे संबंधित उपबंध को अपमार्जित करने के दृष्टि से, धारायें २(१९), २७ और ७३ क में संशोधन करना ;

(२) संस्था को, उनके सदस्यों के रजिस्टर में से उन सदस्यों के नाम हटाने जो उक्त अधिनियम के अधीन बनाए नियमों के उपबंधों द्वारा या के अधीन जो सदस्य होने से परिविरत हो गए है या अनर्ह हो गए है, के लिए समर्थ बनाने के लिए धारा २५क में संशोधन करना।

(३) शिखर संस्था या, यथास्थिति, कोई अन्य संस्था के प्रबंधन समिति में सभी राजस्व विभागों, जिलों या तहसिलों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, आपवादिक स्थिति में शिखर संस्था या कोई अन्य संस्था के समिति के सदस्यों की संख्या पच्चीस तक बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रार को समर्थ बनाने के लिए धारा ७३ क क क में संशोधन करना।

(४) संस्था को, सदस्यों को जो संख्या के उप-विधियों के अनुसार अनर्ह हो गए है, अनर्ह बनाने के लिए धारा ७३ ग क में संशोधन करना।

(५) रजिस्ट्रार, साधारण परिस्थितियों में जैसा कि संक्रामक रोग, महामारी, आदि में, तथापि सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वार्षिक साधारण बैठक का संचालन करने के लिए, तीन महींनों से अनधिक अवधि को बढ़ाने के लिये धारा ७५ में संशोधन करने के लिये उपबंध करना ;

(६) उनके प्रशासकीय कर्तव्यों का कार्यान्वयन करने के लिए तद्धीन नियुक्त प्रशासक या प्रशासक समिति का अवधि छह महीने से बारह महीने तक बढ़ानें के लिए धारा ७८ और ७८क का संशोधन करना।

(७) उक्त अधिनियम के उपबंधों, नियमों या उप-विधियों का अनुपालन करने के लिए-किसी सहकारी संस्था या संस्था के वर्ग को निदेश देने के लिए रजिस्ट्रार को समर्थ बनाने के लिए धारा ७९ में संशोधन करना।

(८) लेखापरिक्षण परिशोधन रिपोर्ट से बरतने के लिए और अननुपालन के मामले में सद्य कार्यवाही करने के लिए रजिष्ट्रार को सुकर बनाने के लिए धारा ८२ में संशोधन करना।

(९) बँक साथ ही साथ चीनी कारखानों और वस्त्रोद्योग कारखानों का यथा समापन कार्य पेचीदा समापन प्रक्रिया के कारण दस वर्ष भीतर नहीं हो सकता है, अतः राज्य सरकार की पूर्वमंजूरी से, संस्था के समापन प्रक्रिया पूरी करने का अवधि दस वर्ष से पंद्रह वर्ष तक बढ़ाने के लिए धारा १०९ में संशोधन करना।

(१०) सेवानिवृत्त सदस्यों को निक्षेप का प्रतिदाय करने के कारण समापन चरमरहाट पर काबू पाने के लिए, वेतन उपार्जित कर्ता सारव सहकारी संस्था को उनके निवृत्त सदस्यों से, उनको नामीय सदस्य बनाने द्वारा उनसे निक्षेप स्वीकृत करने की अनुमति देने के लिए धारा १४४-५क में संशोधन करना।

(११) राज्य सरकारी की, उक्त अधिनियम के किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाए किन्ही नियमों से किसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग को छूट देने की शक्ति को पुनःस्थापित करने के लिए धारा १५७ में संशोधन करना।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २३ दिसंबर, २०२१।

बाळासाहेब पाटील,
सहकार मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड ४.—— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० की धारा २६ की प्रतिस्थापना करना है, जिसे उक्त अधिनियम, नियमों या उप-विधियों के अधीन सदस्य के अधिकारों का उपयोग करने के लिये उसे समर्थ बनाने के लिये राज्य सरकार को, सदस्यत्व के संबंध में संस्था के सदस्य द्वारा किए जानेवाले भुगतान या सदस्य द्वारा संस्था में अभिगृहीत किए जानेवाले हित के संबंध विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है ।

खण्ड ९.—— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय उक्त धारा ७५ में संशोधन करना है, जिसे रजिस्ट्रार को, अपवादात्मक परिस्थितियों में, जैसे कि, संक्रमण बीमारी, महामारी, बाढ़, भारी बारिश, सूखा या भूकंप, में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने का अवधि तीन महीने से अनधिक के लिए विस्तरित करने की शक्ति प्रदान की गई है ।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २३ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.